भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं.**464**/अनुदेश/**2016**-ईपीएस दिनांक**: 06** जनवरी, **2017**

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

(1) गोवा, पणजी
(2) मणिपुर, इम्फाल
(3) पंजाब, चंडीगढ़
(4) उत्तराखण्ड, देहरादून
(5) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2017- निर्वाचन प्लानर-तत्संबंधी।

महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं, निर्वाचनों का निर्बाध एवं सफलतापूर्वक संचालन, विविध सांविधिक तथा अंसांविधिक क्रियाकलापों एवं कार्यो के व्यवस्थित, सुदृढ़ और विस्तृत अग्रिम योजना, जो निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, पर आधारित होता है। निर्वाचनों की योजना, अपरिहार्य रूप से मतदान तारीख से कई माह पूर्व आरंभ कर दी जाती है तथा वरिष्ठ निर्वाचन पदाधिकारियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों आदि द्वारा निर्वाचन संबंधी सभी आरम्भिक क्रियाकलापों की सामयिक अनुसूची का सख्ती से अनुपालन किए जाने की अनिवार्यता को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

व्यवस्थित, रीतिबद्ध तथा सटीक अग्रिम निर्वाचन योजना की अनिवार्यता पर विचार करते हुए, मुझे इसके साथ एक विस्तृत निर्वाचन प्लानर संलग्न करने का निदेश हुआ है, जिसे साधारण निर्वाचनों के वर्तमान चरण तथा भावी निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन मशीनरी द्वारा दिशा-निर्देश, क्रियान्वयन तथा अनुपालन हेतु तैयार किया गया है।

निर्वाचन प्लानर का प्रयोग करने एवं इसे कार्यान्वित करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर कृपया ध्यान दें**:**

1. निर्वाचन प्लानर में निर्वाचन संबंधी क्रिया-कलापों के विस्तृत फलक दिए गए हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संभावित मतदान तिथि से लगभग **6** माह पूर्व पूरा किया जाना अपेक्षित है।

2. प्लानर को एक चरण वाले निर्वाचन के टैम्प्लेट के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें निर्वाचन प्रचार के लिए **14** दिन की अवधि, नाम-निर्देशन प्रक्रिया के लिए **7** दिन तथा सांविधिक अधिसूचना से **15** दिन पूर्व निर्वाचन अनुसूची की घोषणा शामिल है। मतगणना, मतदान के चौथे दिन को दर्शाई गई है।

3. अनिवार्य रूप में, प्रयास यह होना चाहिए कि सफल निर्वाचनों के लिए तैयारी में शामिल सम्पूर्ण क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाए जो निर्वाचन प्रबंधकों के लिए रेडी रेकनर/कैलेंडर के रूप में कार्य कर सके तथा महत्वपूर्ण कार्यो को समय से आरंभ एव समाप्त किए जाने के बारे में उन्हें सतर्क करता है जिसका अन्यथा निर्वाचनों की व्यस्तता में विस्मरण हो सकता है।

4. प्रत्येक क्रियाकलाप के आरंभ किए जाने, कालावधि तथा समाप्त किए जाने की समय-सीमा जाहिर तौर पर अनुमानित है तथा छोटे-मोटे परिवर्तन असंख्य स्थानीय कारणों तथा संबद्ध कारकों पर निर्भर करते हैं। मूल विचार यह है कि निर्वाचन प्रबंधकों को एक सामान्य प्रचालनात्मक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराना है ताकि वे

अनुमानित प्रासंगिक समय पर ऐसे महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के बारे में सजग रहें, जिसे निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

5. प्लानर को यथोचित रूप से बड़े आकार में, अधिमानत: **6** फीट x **3** फीट में मुद्रित किया जाना चाहिए तथा इसका सहज एवं सुविधाजनक अभिगम्यता तथा दैनिक अवलोकन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों तथा चैम्बरों में प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्लानर में विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्रियाकलाप का प्रारंभण एवं समापन अनुसूची के अनुसार अनुवीक्षण किया जाना है तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को समापन-सह-स्थिति रिपोर्ट राज्यव्यापी डाटा के संकलन के लिए भेजी जाए।

7. यह रिपोर्ट P-40 दिनों तक साप्ताहिक आधार पर अर्थात् प्रत्येक सोमवार को अपराह्न **12.00** बजे तक भेजी जा सकती है, तथा P-40 दिनों के पश्चात दैनिक आधार पर अवश्य भेजी जानी चाहिए।

8. जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा रिटर्निंग अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्लानर में दर्शाए गए क्रियाकलापों की अनुसूची का व्यक्तिगत रूप से अनुवीक्षण करें तथा इसे लागू करें।

9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, की गई कार्रवाईयों की प्रगति का समय-समय पर अनुवीक्षण एवं समीक्षा करेंगे एवं उपर्युक्त अनुसूची के अनुसार आयोग के संबंधित जोनल सचिवों को राज्यव्यापी समापन-सह-स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

10. यह साफ-साफ शब्दों में स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्वाचन प्लानर त्वरित संदर्भ के रूप में काम आने के लिए तैयार किया गया है तथा इसका स्वरूप संकेतक मात्र है। निर्वाचन प्लानर का अभिप्राय आयोग द्वारा अधिदेशित मौजूदा निर्वाचन संबंधी संविधि तथा नियमों अथवा विद्यमान दिशा-निर्देशों, अनुदेशों और प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित, परिवर्तित करना या हटाना नहीं है। कोई भ्रम, विरोध या संशय की स्थिति में उत्तरवर्ती आदेश मान्य होगा।

यह पुष्टि करते हुए **3** दिनों के भीतर इस पत्र की पावती दें कि जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अनुपालन हेतु संगत अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग अधिकारी एक सप्ताह के भीतर अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

भवदीय,

ह०/-
(निखिल कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. अन्य सभी/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
2. भारत निर्वाचन आयोग में मानक वितरण